



कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता  
श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी (म.प्र.)

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन

ई-मेल : deanshivpuri@gmail.com

वेबसाइट http://shivpurimedicalcollege.com

क्रमांक. 9536

/स्था.राज/2024

शिवपुरी, दिनांक -08/08/2024

// विज्ञप्ति सूचना //

कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक 984/स्था/राज/संचिशि/2024 भोपाल दिनांक 26.07.2024 द्वारा शैक्षणिक संवर्ग की भर्ती हेतु मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल मध्यप्रदेश का आदेश क्रमांक 1105 एफ 2-45/2010/1/55 भोपाल दिनांक 24.07.2024 द्वारा जारी नवीन प्रोरेटा (दिशा-निर्देश) दिनांक 24.07.2024 के अनुसार इन-हाउस विज्ञप्ति (केवल प्राध्यापक एवं सह प्राध्यापक) हेतु नियमानुसार जारी कर एवं भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करने के निर्देशों के अनुक्रम में चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी में कार्यरत पात्र इन हाउस चिकित्सा शिक्षकों हेतु सह प्राध्यापकों के वर्तमान में पदोन्नति रिक्त पदों पर नियुक्ति, साक्षात्कार के माध्यम से करने हेतु ऑफलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

1. सह प्राध्यापक के पदोन्नति के रिक्त पदों पर नियुक्ति सीधी भर्ती की प्रक्रिया के माध्यम से करने हेतु पदों का प्रवर्गवार विवरण निम्नानुसार है :-

सह प्राध्यापक

वेतनमान - 131400-217100 (सातवें वेतनमान में लेवल 13-ए)

क्रमांक	विषय	प्राध्यापकों के वर्गवार पदों की संख्या			कुल पदों की संख्या
		UR	ST	SC	
1)	डर्मटोलॉजी	1	-	-	1
2)	इमरजेन्सी मेडिसिन	1	-	-	1
3)	जनरल मेडिसिन	1	-	-	1
4)	आटो रिहनो लरंग्योलॉजी	1	-	-	1
5)	पैथोलॉजी	0	1	-	1
6)	पी.एम.आर.	1	-	-	1
7)	सायकेट्री	1	-	-	1
8)	रेडियोडायग्नोसिस	1	-	-	1
9)	रेस्पिरेटरी मेडिसिन	1	-	-	1

2. उपरोक्त पदों के लिए अर्हता निम्नानुसार है :-

(अ) अनिवार्य अर्हतायें :- राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14 फरवरी 2022 "चिकित्सा संस्थानों में शिक्षक पात्रता योग्यता विनियम 2022" में दी गई तालिका में क्रमांक 1-क एवं 1-ख के अनुसार होगी।

पद	शैक्षणिक योग्यता	शिक्षण और अनुसंधान अनुभव
सह प्राध्यापक पी.जी. के बाद 5 साल का अनुभव।	संबंधित विषय में एम.डी./एम.एस./डी.एन.बी.।	(i) किसी अनुमत/मान्यता प्राप्त चिकित्सा कॉलेज/संस्थान में 4 साल के लिए विषय में सहायक प्राध्यापक के रूप में (ii) कम से कम दो शोध प्रकाशन होने चाहिए (एन.एम.सी./एम.सी.आई. द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप पेपर ही मान्य होंगे)। (iii) एन.एम.सी. द्वारा निर्दिष्ट संस्थान (संस्थानों) से चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा होना चाहिए। (iv) एन.एम.सी. द्वारा निर्दिष्ट संस्थान से बायोमेडिकल रिसर्च में बुनियादी पाठ्यक्रम पूरा होना चाहिए।

नोट :-

(i) ब्रॉड स्पेशियलिटीज और सुपर स्पेशियलिटी की योग्यता में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (डी.एन.बी.) का डिप्लोमेट, जब संबद्ध अस्पताल वाले किसी चिकित्सा संस्थान में अथवा पांच सौ या अधिक बिस्तरों वाले किसी अस्पताल में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा प्रदान किया गया हो, तो हर दृष्टि से संबंधित ब्रॉड स्पेशियलिटीज (एम.डी./एम.एस) और सुपर स्पेशियलिटी (डी.एम./ए.सी.एच) स्नाकोत्तर योग्यता के समकक्ष होगा, परंतु अन्य सभी मामलों



में शिक्षण के प्रयोजनार्थ ऐसी योग्यता के समकक्ष होने के लिए एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए किसी मेडिकल कॉलेज में वरिष्ठ रेजिडेंसी की आवश्यकता होगी।

(ii) इस के अतिरिक्त राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एन.एम.सी.) के प्रचलित मापदण्डों के अनुसार समय-समय पर निर्धारित अर्जित अर्हता अनिवार्य।

(ब) मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् में स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधि का स्थायी पंजीयन अथवा अन्य किसी राज्य में पंजीयन होने पर कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद् में पंजीयन अनिवार्य है अन्यथा की स्थिति में छानबीन समिति द्वारा लिये गये निर्ण अंतिम एवं बंधकारी होगा।

(स) विशेष :-

(i) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एन.एम.सी.) नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 16 अगस्त 2023 के अनुसूची 02 कर्मचारियों की आवश्यकताएं के बिन्दु क्रमांक 04 के अनुसार "मानव शरीर रचना विज्ञान, मानव शरीर क्रिया विज्ञान और जीव रसायन विज्ञान विभागों में विज्ञान के कुल पदों की संख्या के 15 प्रतिशत की सीमा तक गैर मेडिकल अध्यापक नियुक्त किये जा सकते हैं"।

(ii) उन सभी विभागों में जहां पर एन.एम.सी. द्वारा नॉन मेडिकल डिग्री धारी अभ्यर्थियों को टी.ई. क्यू. (14 फरवरी 2022) पात्रता नियमावली के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। उन विभागों में एन.एम.सी. नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 16 अगस्त 2023 द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार तथा समस्त शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के संबंधित विभागों में वर्तमान में कार्यरत नॉन मेडिकल डिग्री धारी अध्यापकों की गणना कर मेडिकल एवं नॉन मेडिकल फ्रेकल्टी, दोनों के अनुपात के आधार पर ही नॉन मेडिकल डिग्रीधारी अभ्यर्थियों के आवेदनों को विचारण क्षेत्र में रखा जायेगा।

(iii) उक्त अर्हता विज्ञापन जारी दिनांक तक अर्जित होनी चाहिए। उक्त तिथि के बाद में अर्हता धारित करने वाले आवेदक पद हेतु अपात्र माने जावेंगे।

(iv) यदि अभ्यर्थी की अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची में पूर्णांक तथा प्राप्तांक का उल्लेख न होते हुए ग्रेड/पाइंट स्केल का उल्लेख है तो उन्हें अपने ग्रेड/पाइंट स्केल के समतुल्य प्रतिशत के निर्धारण विषयक सूत्र/सिद्धांत के आधार पर प्रतिशत की गणना करते हुए शपथ पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। शपथ पत्र के साथ प्रतिशत निर्धारण हेतु अपनाये गये सूत्र/सिद्धांत के अनुसमर्थन हेतु संबंधित विश्वविद्यालय के सुसंगत अभिलेख संलग्न करना भी अनिवार्य है।

(v) चयन सूची में दो या अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक होने की स्थिति में वह अभ्यर्थी जिसने अंतरिम प्रोरेटा में अधिक अंक प्राप्त किये हो, उसे चयन सूची में उच्च वरियता दी जायेगी, परन्तु यदि अभ्यर्थी के अंतरिम प्रोरेटा में समान अंक पाये जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में वह अभ्यर्थी जिसकी आयु अधिक हो उसे चयन सूची में उच्च वरियता दी जायेगी।

(द) टीप :-

(i) शासन द्वारा भर्ती प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। पदों की संख्या में वृद्धि केवल साक्षात्कार द्वारा चयन की स्थिति में साक्षात्कार दिवस तक की जा सकेगी। बढे हुए पदों हेतु अतिरिक्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किये जायेंगे। पदों की संख्या में कमी चयन के किसी भी स्तर पर की जा सकेगी।

(ii) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर की जावेगी।

(iii) किसी भी प्रवर्ग में मध्यप्रदेश की मूलनिवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद पर उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में उसी प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे।

(iv) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षित पदों हेतु केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित

जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमिलेयर), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा दिव्यांगजन ही आवेदन कर सकेंगे। अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो अपने मूल निवासी के राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमिलेयर) या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रूप में मान्य है, अनारक्षित श्रेणी के रूप में विचारित किए जायेंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमिलेयर) के अभ्यर्थियों को यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा की वे क्रीमिलेयर की श्रेणी में नहीं आते।

- (v) चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा राजपत्र सेवा नियम 2023 के अंतर्गत होगी। नियुक्त अभ्यर्थी पर राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश लागू रहेंगे। अभ्यर्थी की नियुक्ति/पदस्थापना संबंधी अधिकार अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी का होगा।

### 3. आयु सीमा :-

विज्ञापन दिनांक से अधिवार्षिकी आयु (65 वर्ष) पूर्ण करने में न्यूनतम 05 वर्ष शेष हो।

- (i) राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी अन्य आयु सीमा के संबंध में दी गई छूट मान्य होगी।

### 4. आवेदन-पत्र प्रेषण के संबंध में आवश्यक अनुदेश :-

- (i) विभागीय वेबसाइट विज्ञापन के साथ संलग्न आवेदन पत्र प्रारूप में आवेदन दिनांक 23.08.2024 सांय 5.00 बजे तक आमंत्रित किये जायेंगे।  
(ii) विलंब से प्राप्त आवेदन -पत्र मान्य नहीं होंगे।  
(iii) आवेदक यह सुनिश्चित करे कि उनके द्वारा आवेदन-पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वे साक्षात्कार की उपस्थिति सूची तथा कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी के समस्त पत्र व्यवहार में करे।

### 5. आवेदन शुल्क :-

अभ्यर्थी आवेदन शुल्क "Dean, Government Medical College, Shivpuri" के पक्ष में समस्त प्रवर्गों के आवेदक आवेदन शुल्क अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमिलेयर) हेतु राशि रु. 2500/- (रु. दो हजार पांच सौ मात्र) एवं आरक्षित वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमिलेयर) तथा आर्थिक रूप से कमजोर संवर्ग एवं निशक्तजन उम्मीदवार हेतु राशि रु. 1500/- (रु. एक हजार पांच सौ मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट प्रस्तुत करना होगा।

मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमिलेयर) तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु	शेष सभी श्रेणी तथा मध्यप्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों हेतु
रु. 1500/- (रूपये एक हजार पांच सौ मात्र)	रु. 2500/- (रूपये दो हजार पांच सौ मात्र)

### 6. अभ्यर्थी आवेदन पत्र के साथ निम्नानांकित प्रमाण पत्रों को स्वप्रमाणित कर अनिवार्य रूप से संलग्न करें :-

- (i) आयु संबंधी प्रमाण के लिए :- केवल हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी अथवा मेट्रीक्यूलेशन की अंकसूची/प्रमाण-पत्र/जन्म प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।  
(ii) शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण-पत्र :- हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी तथा उसके बाद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें आवेदक ने उत्तीर्ण किया है, के समस्त वर्षों/सेमेस्टर्स की अंक सूत्रियों एवं उपाधियों की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।  
(iii) संविदा सेवा के अनुभव प्रमाण पत्र :- यह प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। इस प्रमाण पत्र में धारित पद तथा अनुभव अवधि का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है।  
(iv) शोध पत्र :- समस्त रिसर्च पब्लिकेशन/स्वरचित पुस्तक अध्याय की स्व-प्रमाणित छायाप्रति।

(v) अन्य कार्य अनुभव यदि हो तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।

(vi) **जाति के प्रमाण-पत्र :-** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर) का स्थाई जाति प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जो कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के अधिकृत है द्वारा जारी किया गया हो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें। साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई वचन-पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं विभाग इस संदर्भ में कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा। विवाहित महिलाओं का उनके नाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित किया हुआ जाति प्रमाण पत्र ही मान्य किया जाएगा। विवाहित महिलाएं विवाहोपरांत नाम/उपनाम परिवर्तन यदि हो तो इस संबंध में शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। अन्य किसी राज्य में जारी किया गया प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। (डिजिटल जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा)

अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाण पत्र भी आवश्यक है अर्थात् अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण पत्रों में क्रीमीलेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगे।

(vii) **अनापत्ति प्रमाण पत्र :-** शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था/निजी चिकित्सा महाविद्यालय के कर्मचारी हेतु नियोक्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

7. निर्हतायें :-

- a) विकृत चित्त वाला होने पर।
- b) दुश्चरित्र होने पर।
- c) शारिरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।
- d) नियुक्ति के लिए प्रयास/अनुशंसा- किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिए से किया गया कोई भी प्रयास / अनुशंसा उसके लिए अनर्हकारी माना जायेगा।
- e) **विवाह संबंधी** - जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरुष वर्ग के लिए 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसे महिला/पुरुष उम्मीदवार जिसके किसी ऐसे पुरुष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो ऐसे महिला/पुरुष नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।  
दिनांक 26.01.2001 के पश्चात जिस उम्मीदवार की जीवित बच्चों की संख्या 02 से अधिक हो गई हो वह चयन के लिए पात्र नहीं होगा परंतु कोई उम्मीदवार जिसकी पहले से ही 01 जीवित संतान है तथा दिनांक 26.01.2001 के पश्चात आगामी प्रसव दो या अधिक संतान का जन्म होता है तो वह नियुक्ति के लिए अपात्र नहीं होगा।
- f) कूटरचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर।
- g) **कदाचरण संबंधी** - किसी भी ऐसे उम्मीदवार को सेवा या पद पर नियुक्त नहीं किया जावेगा, यदि उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी सेवा के कदाचरण के लिए परिणाम स्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो, यदि उसके नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।
- h) ऐसे उम्मीदवार जिसके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज है अथवा उसके विरुद्ध दर्ज किसी आपराधिक मामले में वह दोष सिद्ध हुआ हो।
- i) **स्वास्थ्य संबंधी** - मानसिक रूप से स्वस्थ्य न होने पर किसी उम्मीदवार को सेवा या पद पर नियुक्ति नहीं किया जावेगा जब तक कि वह राज्य शासन के ऐसे चिकित्सा अधिकारी जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात अच्छी तरह से शारिरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ्य पाया जाये तथा वह ऐसा प्रमाण पत्र जारी करें।



8. यात्रा व्यय का भुगतान :-

साक्षात्कार हेतु किसी प्रकार का कोई यात्रा व्यय/भत्ता देय नहीं होगा।

9. अधिवार्षिकी आयु :- 65 वर्ष

10. चयन प्रक्रिया :- चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा। विज्ञापित पदों के 5 गुना अभ्यर्थियों को प्रोराटा अंकों के आधार पर साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा बशर्ते कि पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध हों। साक्षात्कार में प्राप्तांकों एवं प्रोराटा अंकों के कुल प्राप्तांकों के आधार पर अंतिम चयन सूची घोषित की जायेगी।

टीप :-

- (अ) साक्षात्कार हेतु शार्टलिस्टेड अभ्यर्थियों की सूची कार्यालय अधिष्ठाता द्वारा प्रेषित पत्रों के माध्यम से/उम्मीदवार की ई-मेल आई.डी. पर/ चिकित्सा महाविद्यालय की वेबसाई पर उपलब्ध रहेगी।
- (ब) चयन प्रक्रिया/प्रकाशित विज्ञापित में यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में-आती है तो सक्षम प्राधिकारी को सुधारने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

11. विज्ञान के संबंध में आवश्यक निर्देश :-

- (अ) विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएं एवं साक्षात्कार के परिणाम केवल चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी की वेबसाईट में प्रकाशित किए जायेंगे। आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु आवेदन पत्र पर विहित स्थान पर अपने सही ई-मेल पते तथा मोबाईल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा विभाग की वेबसाईट का निरंतर अवलोकन करते रहें।
- (ब) विस्तृत जानकारी हेतु निम्न वेबसाईट देखें :-  
आवेदन पत्र भरने हेतु अन्य निर्देश/जानकारी विभागीय भर्ती नियम विभागीय वेबसाईट <https://medicaleducation.mp.gov.in/> पर उपलब्ध है।

12. अन्य आवश्यक निर्देश :-

- (अ) समस्त नियुक्तियां शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/निर्णयों के अध्याधीन रहेगी एवं किन्ही भी कारणों से किसी भी अभ्यर्थी का आवेदन अयोग्य पाये जाने पर आवेदन निरस्त किया जाएगा। निरस्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी किसी भी प्रकार से नियुक्ति के संबंध में अधिकार के रूप में दावा नहीं कर सकेंगे।
- (ब) किसी भी विसंगति की स्थिति में चयन समिति का निर्णय अंतिम माना जायेगा।

13. आवेदन की अंतिम तिथि :- दिनांक 23.08.2024 सांय 5.00 बजे तक ही आवेदन पत्र मान्य होंगे।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता  
श्रीमंत राजमाता विजयाराजे सिंधिया  
चिकित्सा महाविद्यालय, शिवपुरी